

222 (5) केन्द्रीय लोक उद्यमों में छुट्टी यात्रा रियायत का निलंबन-पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को छूट

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के तारीख 22.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(3)/201-डी पी ई (डब्ल्यू सी)-जी एल-XXXXVI के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि यह निर्णय लिया गया है कि सिविकम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के छु.या.रि. को विनियंत्रित करने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 31.5.2001 के कार्या. ज्ञापन सं. 31011/3/2001-स्था.(ए) (प्रति संलग्न), को आवश्यक संशोधनों सहित सिविकम सहित पूर्वोत्तर राज्य में तैनात केन्द्रीय लोक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए।

2. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त परामर्श दें।

(डी. पी. ई. का 12 जून, 2002 क कार्या. ज्ञापन संख्या 2(3)/2001-डी.पी.ई. (डब्ल्यू सी) जी.एल-VIII)